

रिपोर्ट/उपखण्ड अधिकारी हस्त/आईटीएल0आर0

2078 के खता सं 288 में प्रथम पत्र पर उल्लेखित प्रविष्टि का उल्लेख कर रिपोर्ट में उल्लेखित किया जा चुका है। जिसके अनुसार प्रविष्टि का उल्लेख कर रिपोर्ट में उल्लेखित किया जा चुका है। अतः प्रार्थी का नाम वप/जाला पुन साक्षी है।
 रिपोर्ट में उल्लेखित प्रविष्टि का उल्लेख कर रिपोर्ट में उल्लेखित किया जा चुका है। अतः प्रार्थी का नाम वप/जाला पुन साक्षी है।

28/4/23

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक -

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अधिशेष की जाती है/नहीं की जाती है।

28/4/23
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक क्लर्क उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 28/4/23

सं.नं. = 48/23

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिपोर्ट में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्दी संख्या	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिपोर्ट में दर्ज की जानी है।)
1	गुडिया	2075-78	288	वज्रजाला पुन भूमि राम जाति जाट साक्षी जगतपुरा खातेदार	वज्रजाला पुन भूमि जाति जाट साक्षी खातेदार

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

परामर्श

28/4/23

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 19

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको सूचनाार्थ।

दिनांक :- 28/4/23



उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी